जन औषधि खोलने के लिए आवश्यकताएँ

- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह जो कि आवेदक की खुद की हो या किराये पर ली गयी हो। जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदनकर्ता जगह की स्वयं व्यवस्था करेगा। पीएमबीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
- फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र, आवेदक के द्वारा जमा कराया जायेगा।
- यदि आवेदक महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला, उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह में अधिसूचित किया गया है, तो उसे आवेदन करते समय वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक बार आवेदक द्वारा श्रेणी का चयन कर लिए जाने के बाद आवेदक भविष्य में किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
- आवेदन का शुल्क 5,000/- रूपये है जो कि वापस नही किया जायेगा। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला, उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह में अधिसूचित आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्ति है जिसके लिए आवेदकों को वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- नए जन औषधि केन्द्रों को मंजूरी देते समय निम्नलिखित दूरी नीति का पालन किया जाएगा। इसलिए, आवेदक आवेदन करते समय दूरी का पालन जरूर करें। दो जन औषधि केन्द्रों के बीच की दूरी के नियम व शर्तें निम्नलिखित है:

क	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और दस (10) लाख के बराबर या उससे अधिक आबादी वाले शहर/जिले।	नए केन्द्र की स्वीकृती देते समय दो केन्द्रों के बीच 1 किमी की दूरी का ध्यान रखा जायेगा
ख	10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/जिले।	नए केन्द्र की स्वीकृती देते समय दो केन्द्रों के बीच 1.5 किमी की दूरी का ध्यान रखा जायेगा

नोट: जनसंख्या जनगणना को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के डेटा के साथ सत्यापित किया जाएगा।

आपूर्ति श्रृंखला

जन औषधि केन्द्रों पर बिकने वाली दवाइयों को डब्लू एच ओ - जी एम पी सर्टिफाइड दवा उत्पादक कंपनियों से ही खरीदा जाता है। देश के हर हिस्से में दवाइयां पहुंचाने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है जिसके लिए डब्लू एच ओ गाइडलाइन्स पर आधारित केंद्रीय गोदाम गुरुग्राम एवं तीन क्षेत्रीय गोदाम गुवाहाटी, सूरत एवं चेन्नई में हैं। जिनमें लगभग 2,15,000 वर्ग फीट भंडारण क्षेत्र है। इसके अलावा 36 डिस्ट्रीब्यूटर की भी नियुक्ति की गयी गई है जहाँ से देश भर के जन औषधि केंद्रों को दवाइयां मुहैया कराई जाती है। केंद्रीय गोदाम, क्षेत्रीय गोदाम, डिस्ट्रीब्यूटर एवं जन औषधि केंद्रों को पूरी तरह से SAP आधारित सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है साथ ही साथ सभी केन्द्रो पर पॉइंट ऑफ़ सेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी लगाया गया है जिससे दवाइयों की आपूर्ति ठीक तरह से हो सके एवं देश के किसी भी केंद्र पर दवाइयों की कमी न हो।

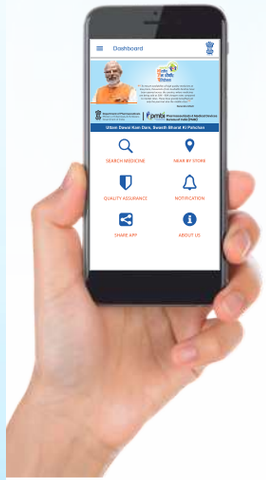

अपने मोबाइल पर अपने निकटतम पीएमबीजेपी केंद्र का पता लगाएं

अभी डाउनलोड करें

जन औषधि सुगम

मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play

QR कोड स्कैन करें

फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई)
8वीं मंजिल, वीडियोकॉन टावर, ब्लॉक ई-1,झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली – 110055

@pmbjppmbi | janaushadhi.gov.in

नेशनल टॉल फ्री हेल्पलाइन
1800 180 8080

भारत सरकार
रसायन एवं ऊर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

"कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां दवाएं बाजार दरों से **50** से **90** प्रतिशत तक की कम कीमत पर मिल रहीं हैं। इनसे न केवल गरीबों को बल्कि मध्यम वर्ग को भी बहुत फायदा हुआ है।"

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

एक समृद्ध कल के लिए!
आप भी जन औषधि केंद्र के खुद मालिक बनें

जन औषधि केंद्र कैसे खोलें ?

परिचय

भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। ब्रांडेड एवं ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं, काफी महंगी है जबकि जेनेरिक दवाएं सस्ती भी हैं और गुणवत्ता में भी ब्रांडेड एवं ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं जैसी ही है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 71वें दौर के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इलाज में होने वाले कुल खर्च का ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 72% और शहरी क्षेत्र में 68% दवाओं की खरीद का हिस्सा है। इसलिए देश में उचित मूल्य की गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध होने से सभी नागरिकों को लाभ होता है।

भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग इस उद्देश्य को साकार करने के लिए समय-समय पर कई विनियामक और वित्तीय उपाय करता रहा है।

भारत में बेची जाने वाली 87% दवाएं ब्रांडेड-जेनेरिक हैं। देश के नागरिकों के दवाओं पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता एवं उपयोगिता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता

- व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी. फार्मा / बी. फार्मा डिग्री होनी चाहिए अथवा किसी डी. फार्मा / बी. फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना होगा तथा आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन, एनजीओ, इत्यादि को बी.फार्मा/डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा और आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- मेडिकल कॉलेजों एवं सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल के प्रबंधन द्वारा चयनित किसी एजेंसी , प्रतिष्ठित एनजीओ/धर्मार्थि संगठन भी पात्र होंगे।

दवाएं एवं अन्य उत्पाद

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 1800 प्रकार की उच्च गुणवत्ता की दवाएं और 285 शल्य चिकित्सा उपकरण एवं विभिन्न प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जैसे प्रोटीन पाउडर, माल्ट-बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, इत्यादि शामिल है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे कि आयुरक्षा किट, बालरक्षा किट, आयुष-64 टैबलेट एवं च्यवनप्राश को इम्युनिटी बूस्टर के रूप में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमबीआई उत्पाद के विस्तार के लिए एफएसएसएआई के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी खाद्य उत्पादों और पीएमबीजेपी के तहत कुछ आयुर्वेदिक उत्पादों के लॉन्च पर काम कर रहा है।

इसके साथ ही प्रयोगशाला अभिकर्मकों को छोड़कर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल सभी जेनेरिक दवाएं पीएमबीजेपी दवाओं में शामिल हैं।

वित्तीय सहायता

जन औषधि केंद्र खोलने पर सरकार द्वारा संचालकों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका विवरण निम्न है

1. जन औषधि केंद्र संचालकों को 5.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि केंद्र द्वारा की गयी मासिक खरीद का 15% होती है जिसकी अधिकतम सीमा 15,000/- रूपये प्रति माह है।
2. महिला उद्यमी, दिव्यांग, एससी/एसटी, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीप समूहों, एवं आकांक्षी जिलों में जन औषधि केंद्र संचालकों को 2.00 लाख रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में एक मुश्त दिया जाता है।